

भाग. 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-FP/UP/ROAD/146875/2021

क्र०	मद	विवरण
	परियोजना विवरण	जनपद सीतापुर जनपद सीतापुर में सीतापुर-हरदोई राज मार्ग (एन0एच0-330डी) चैनैज कि०मी० 0.00 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण से प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	सीतापुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	28.707 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	प्रभावित वृक्षों की संख्या 1549 है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल भूमि होने के कारण भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर	नहीं

	की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा:-	क्षतिपूरक वनिकरण कार्य इस वन प्रभाग के मिश्रिख रेंज के अधिन क्षेत्रफल 58 हे० अवनत वनभूमि में रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अविकसित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अविकसित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न हैं।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण क्रियान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योज संलग्न है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	₹0-11557757.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र [संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।]	संलग्न हैं।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	571284.00 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4991.17 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की सं० -21 151:168 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	280.908 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	183.87 हे०।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मिश्रिख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर